**राजस्थान सरकार**
**स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर**
जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।
टेलीफैक्स :– 0141–2222403, 2222805 ई–मेल: dlbrajasthan@gmail.com वेबसाईट: www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ. 56 (क)( )सीई / डीएलबी / IRGY(U)/2022–23 / 71856 -72091 दिनांक : 02/09/2022

1. **उपनिदेशक (क्षेत्रीय),**
   **स्थानीय निकाय विभाग,**
   **समस्त राजस्थान।**

2. **आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी,**
   **नगर निगम / परिषद् / पालिका,**
   **समस्त राजस्थान।**

**विषय** : राज्य की समस्त नगरीय निकायों में **इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना** (IRGY-Urban) के शुभारम्भ के सम्बन्ध में।

**प्रसंग** : विभाग का पूर्व समसंख्यक पत्रांक 30025–30250 दिनांक 06.05.2022, पत्रांक 33817–34036 दिनांक 12.05.2022 एवं 38857–39078 दिनांक 23.05.2022 के क्रम में।

---

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा राज्य के बजट में शहरों में आमजन के लिये रोजगार सुनिश्चित करने के लिये **"इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना"** लागू करने की घोषणा की गई है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले जरूरतमंद परिवारों को प्रतिवर्ष 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाना है।

राज्य सरकार द्वारा उक्त "इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (**IRGY-Urban**)" राज्य के शहरी क्षेत्रों में प्रारम्भ की जा रही है, जिसका माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 9 सितम्बर, 2022 को राज्य स्तर पर विधिवत **शुभारम्भ (Launching)** किया जावेगा। उक्त दिवस को ही जिला स्तर व नगरीय निकाय स्तर पर शुभारम्भ किया जावेगा।

**उक्त योजना का शुभारम्भ (Launching) होने से पूर्व नगरीय निकायों के स्तर पर निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें :–**

1. योजना के शुभारम्भ से पहले 6 सितम्बर, 2022 तक नगरीय निकायों के महापौर / सभापति / अध्यक्ष एवं पार्षदों के साथ बैठक आयोजित करते हुये, योजना के शुभारम्भ के सम्बन्ध में व्यापक विचार–विमर्श करते हुये, शुभारम्भ से पूर्व आवश्यक व्यवस्थायें / तैयारियां पूर्ण कर ली जावे।

2. योजना के शुभारम्भ हेतु प्रत्येक वार्ड में कम से कम 1 कार्य का चयन करते हुये, उस दिन नियोजित किये जाने वाले श्रमिकों की संख्या का निर्धारण कर जॉब कार्ड जारी करने एवं नियोजित होने वाले श्रमिकों के नाम मस्ट्रोल में दर्ज कर मस्ट्रोल जारी करने की कार्यवाही पहले से ही सुनिश्चित कर ली जावे।

Scanned with CamScanner

3. प्रत्येक नगरीय निकाय के प्रत्येक वार्ड में कम से कम 50 श्रमिकों को नियोजित किया जावे। प्रत्येक वार्ड में न्यूनतम 1 कार्य का चयन किया जावे। यथासम्भव वार्डो में कार्यो का चयन इस प्रकार से किया जावे कि वार्ड का श्रमिक उसी वार्ड में नियोजित हो सके।

4. पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों में से श्रमिकों का चयन करते हुये, सूची तैयार कर ली जावे एवं उनको जॉब कार्ड जारी करते हुये, श्रमिकों को उपलब्ध कराने हेतु जॉब कार्ड की हार्ड कॉपी निकाल लेवें।

5. योजना के शुभारम्भ के अवसर पर जिला स्तरीय व स्थानीय स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में जिन श्रमिकों को नियोजित किया जावेगा, उनमें से कम से कम 50 श्रमिकों को कार्यक्रम के दौरान सांकेतिक रूप से जॉब कार्ड वितरित किये जावें।

6. इस पखवाड़े की मस्टरोल में श्रमिकों के नाम दर्ज कर लिये जावें एवं मस्टरोल का प्रिंट निकला लेवें। मस्टरोल में जिन श्रमिकों के नाम दर्ज हों, उनको पहले से ही कार्य पर नियोजन की सूचना देते हुये 9 सितम्बर को उपस्थिति सुनिश्चित करावें।

7. जिस स्थान पर कार्य का विधिवत शुभारम्भ किया जाना है, उस कार्य का चयन करते हुये, साईट का मौका निरीक्षण करते हुये, सभी प्रकार की व्यवस्थायें सुनिश्चित कर ली जावे।

8. कार्यो की माप पुस्तिकायें (Measurement Book) तैयार कर ली जावे।

9. विभागीय दिशा–निर्देशों के अनुसार उक्त योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों में से योग्य अभ्यर्थियों का चयन करते हुये, संविदा के आधार पर कार्मिकों की नियुक्ति/भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण कर, दिनांक 6 सितम्बर, 2022 से पूर्व नियुक्ति की कार्यवाही पूर्ण कर ली जावें।

10. ई–मित्र संचालकों के साथ बैठक आयोजित कर योजनान्तर्गत लाभार्थियों/श्रमिकों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों की सूची एवं जारी जॉब कार्ड की सूचना प्राप्त कर ली जावे एवं यह भी सुनिश्चित कर लिया जावे कि ई–मित्र संचालकों द्वारा श्रमिकों को जॉब कार्ड की हार्ड कॉपी जारी कर दी है।

11. नगरीय निकायों के स्तर पर योजना के शुभारम्भ व संचालन हेतु नगरीय निकायों में IRGY डेडिकेटेड सेल का गठन किया जावे एवं उक्त सेल में कनिष्ठ अभियंता/कनिष्ठ तकनीकी सहायक, लेखा सहायक, एम.आई.एस. मैनेजर/कम्प्यूटर ऑपरेटर को लगा लिया जावे तथा आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जावे।

12. योजनान्तर्गत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कार्य पर नियोजित श्रमिकों से कार्य करवाने के लिये निर्देशानुसार मेट (Mate) का नियोजन कर लिया जावे।

13. चयनित कार्यो की प्रकृति के अनुसार आवश्यक संसाधन/उपकरणों (यथा : गेंती, फावड़ा, तगारी, पंजा, खुर्पी, ब्रुश आदि) की व्यवस्था नगरीय निकाय के स्तर पर कर ली जावे।

14. योजनान्तर्गत चयनित कार्यो में 9 सितम्बर, 2022 को नियोजित श्रमिकों की संख्या का विवरण सायं 6.00 बजे तक IRGY-Urban Portel पर अपलोड़ करना सुनिश्चित करें।

Scanned with CamScanner

15. योजनान्तर्गत चयनित कार्यो के 9 सितम्बर, 22 को विधिवत शुभारम्भ से पूर्व तथा उसी दिवस को कार्य पूर्ण होने के पश्चात् की विड़ियाग्राफी व फोटोग्राफी करवाई जावे एवं विडियो व फोटोग्राफ्स को IRGY-Urban Portel व IRGY-Urban ULBs What'sup Group पर अपलोड़ किया जावे।

16. योजनान्तर्गत करवाये जाने वाले कार्यो की नियमित रूप से विड़ियाग्राफी व फोटोग्राफी करवाई जाकर दैनिक/साप्ताहिक रूप से विडियो व फोटोग्राफ्स को IRGY-Urban Portel व IRGY-Urban ULBs What'sup Group पर अपलोड़ किया जावे।

17. योजना के शुभारम्भ के बारे में स्थानीय स्तर पर विभिन्न संचार माध्यमों से व्यापक प्रचार–प्रसार करवाया जावे एवं अधिक से अधिक संख्या में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, गणमान्य व्यक्तियों, मीड़िया एवं आम जन को भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जावे।

अतः योजना के विधिवत शुभारम्भ से पूर्व योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु उक्तानुसार कार्यवाही दिनांक 6 सितम्बर, 2022 तक आवश्यक रूप से पूर्ण कर ली जावे।

(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : एफ. 56 (क)( )सीई/डीएलबी/IRGY(U)/2022–23/72092-442 दिनांक : 02/09/2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव, माननीय मंत्री/राज्यमंत्रीगण (समस्त), राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव महोदया, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव (समस्त), राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
7. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
8. सम्भागीय आयुक्त (समस्त), राजस्थान।
9. जिला कलेक्टर्स एवं जिला परियोजना समन्वयक (इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना), समस्त राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि योजना का विधिवत शुभारम्भ करने हेतु आपके क्षेत्राधिकार की समस्त नगरीय निकायों से समन्वय स्थापित किया जावे एवं योजना का सफल संचालन व क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जावे।
10. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिकायें (समस्त), राजस्थान।
11. अतिरिक्त निदेशक/वित्तीय सलाहकार/परियोजना निदेशक, निदेशालय।
12. समस्त अधिकारीगण, निदेशालय।
13. संयुक्त निदेशक (जन सम्पर्क), निदेशालय को प्रिन्ट व इलेक्ट्रानिक मीड़िया में प्रकाशन करवाने हेतु पालनार्थ।
14. एनालिस्ट कम कम्प्यूटर प्रोग्रामर, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु पालनार्थ।
15. सुरक्षित पत्रावली।

2/9/22

(भूपेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियंता

Scanned with CamScanner